देवास विकास प्राधिकरण देवास

चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.) कार्या.–07272–250526, फैक्स 252335

क्रमांक....407..........   दिनांक 28-2-2022

देवास विकास प्राधिकरण की मिनी सुपर कॉरिडोर योजना क्र.TDS-06/2020 में समाविष्ट भूमि के भू–स्वामियो द्वारा योजना से संबंधित पुछे जाने वाले सामान्य प्रश्नो के उत्तर –:

क्र.	संभावित शंका	समाधान
01	क्या भू–स्वामी के हिस्से की भूमि का व्यपवर्तन की जिम्मेदारी भू–स्वामी की रहेगी?	भूमि का व्यपवर्तन प्राधिकरण द्वारा करवाया जावेगा।
02	योजना निर्माण अवधि का भू–भाटक किसके जिम्मे देय होगा?	सम्पादित अनुबंध की कण्डिका–13 अनुसार निर्माण अवधि तक का भू–भाटक देवास विकास प्राधिकरण द्वारा देय रहेगा। इसके पश्चात का भू–भाटक भू–स्वामी द्वारा देय होगा।
03	प्राधिकरण से अनुबंध उपरांत यदि भू–स्वामी अपनी भूमि किसी ओर को बेचना चाहे तो वह क्या ऐसा कर सकेगा? और उसकी प्रकिया क्या होगी?	अनुबंध उपरांत भू–स्वामी द्वारा प्राधिकरण से एन.ओ.सी. प्राप्त करने पर विक्रय कर सकेगा इस हेतु भूमि क्रेता द्वारा योजना में सम्मिलित होने की लिखित सहमति/अनुबंध सम्पादन अनिवार्य होगा।
04	विकास कार्य अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा क्या क्या कार्य करवाएँ जाएगे?	विकास कार्य अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा सडक निर्माण, ओव्हर हैड टैंक, जल प्रदाय लाईन, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन/लाईन, सीवरेज लाईन आदि कार्य कराए जावेगे।
05	विकास कार्य कब तक पूर्ण होगा ?	लगभग 05 वर्ष
06	क्या मुख्य मार्ग पर बडे भूखण्डो का विभाजन किया जा सकेगा?	45 मी. चौडे मिनी सुपर कॉरिडोर पर भूखण्ड की न्यूनतम साईज 4000 वर्ग मी. रहेगी। इससे कम साईज में विभाजन प्रावधानित नहीं है।
07	क्या निर्माण अवधि के दौरान भू–स्वामी अपनी भूमि पर पूर्ववत खेती कर सकेगा।	भू–स्वामी को आवंटित अंतिम भूखण्ड पर पूर्ववत कृषि उपार्जन का कार्य कर सकेगा।
08	आवासीय भूमि जो भू–स्वामी के हिस्से में है क्या विकास कार्य पूर्ण होने के पूर्व भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त हो सकेगी?	भू–स्वामी को उसको आवंटित अंतिम भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त

09	बीराखेडी रेल्वे कासिंग पर आर ओ बी योजना में सम्मिलित है क्या? एवं कब तक बनेगा?	हॉ योजना में सम्मिलित है लगभग 03 वर्ष के पश्चात बनेगा।
10	भू–स्वामी अपने भूखण्ड को विभाजन कर विकसित करता है तो अन्य विभागो से अनुमति की आवश्यकता होगी?	हॉ भू–स्वामी अपने भूखण्ड को विभाजन कर विकसित करता है तो उसे अन्य सभी सक्षम/आवश्यक विभागो से यथायोग्य अनुमति की आवश्यकता होगी।
11	भू–स्वामी प्राधिकरण को 50 प्रतिशत भूखण्ड दे रहा है तो उसका मुआवजा क्यो नहीं ?	क्योकि 30 प्रतिशत क्षेत्रफल रोड निर्माण पार्क आदि सुविधा हेतु चला जाएगा। प्राधिकरण को केवल 20 प्रतिशत भूखण्ड प्राप्त होगे जिससे विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति होगी भूस्वामी को 50 प्रतिशत का एक या एक से अधिक विकसित भूखण्ड प्राप्त होगा। पूर्ण विकास उपरांत भूखण्ड के मूल्य वृद्धि का पूर्ण लाभ भू–स्वामी को प्राप्त होगा।
12	यदि भूस्वामी द्वारा भूमि बेच दी गई है एवं खाते मे पूर्व भूस्वामी का नाम दर्ज है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध किससे होगा?	भूमि क्रय कर्ता का नाम भू अभिलेख में दर्ज करवाना होगा तत पश्चात नये भूस्वामी से अनुबंध संपादित होगा। भू अभिलेख या नाम परिवर्तन में कोई समस्या आ रही हो तो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावेगा।

28/02/2022

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
देवास विकास प्राधिकरण,
देवास (म.प्र.)